



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 765/22 धारा 394/411 भादवि में जगह जगह घूम-घूम कर अपने नाम बदल-बदल कर लूटपाट करने वाले घूमंतू गैंग के 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटे हुए एक कुंडल व एक अंगुठी (पीली धातु), दो पायल व चार बिछुआ (सफेद धातु) एवं 4430/ रूपये नगद तथा एक मोबाईल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.08.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री आसिफ पुत्र श्री जमील निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत ने तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा दिनांक 01/02.08.2022 की रात्रि में वादी के घर में घुसकर मारपीट कर वादी का फोन व उसकी पत्नी के सोने के कुन्डल एवम गांव में पानी की टंकी के निर्माण कार्य में लगे मजदूर चरण सिंह से एक मोबाईल उसकी पत्नी से चांदी की पाजेब व बिछवे व मजदूर रमेश से टार्च व 5000/ रूपये लूट कर ले जाने एवं मारपीट करने के सम्बन्ध में तहरीर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 765/22 धारा 394 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 765/22 धारा 394/411 भादवि में जगह जगह घूम-घूम कर अपने नाम बदल-बदल कर लूटपाट करने वाले घूमंतू गैंग के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से लूटे हुए एक कुंडल व एक अंगुठी (पीली धातु), दो पायल व चार बिछुआ (सफेद धातु) एवं 4430/ रूपये नगद तथा एक मोबाईल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-गजानन्द उर्फ गजजू उर्फ गंजा पुत्र रतन उर्फ रतना उर्फ रता निवासी ग्राम ईटाखोई थाना दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
- 2-गोपाल उर्फ गोपाली उर्फ गोपा पुत्र जंगला बागरिया निवासी ग्राम रेटी थाना मोजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
- 3-रामधन उर्फ रामू उर्फ धन्नू पुत्र किशनलाल उर्फ किशनू निवासी ग्राम दादौली थाना दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
- 4-भोमा उर्फ गोमा उर्फ गामा पुत्र कालू उर्फ कल्लू निवासी ग्राम आतोली थाना हरिसिंह लाम्बा जिला टोंक राजस्थान।

बरामदगी का विवरण:-

- लूट का एक कुंडल(पीली धातु)।
- लूट की एक अंगुठी (पीली धातु)।
- लूट की दो पायल (सफेद धातु)।
- लूट के चार बिछुआ (सफेद धातु)।
- लूटे हुए 4430/ रूपये नगद।
- लूट का एक मोबाईल फोन।

अभियुक्त भोमा उर्फ गोमा उर्फ गामा पुत्र कालू उर्फ कल्लू का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 765/22 धारा 394/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 64/2021 धारा 451/341/143 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(1)R,(S)(W)i एससी/एसटी एक्ट थाना लूनी जिला जोधपुर सिटी राजस्थान।

3-मु0अ0सं0 03/2021 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम थाना पचेवरी जिला टोंक राजस्थान ।

4-मु0अ0सं0 16/22 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम थाना पचेवरी जिला टोंक राजस्थान ।

अभियुक्त गजानन्द उर्फ गज्जू उर्फ गंजा का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 765/22 धारा 394/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

अभियुक्त गोपाल उर्फ गोपाली उर्फ गोपा का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 765/22 धारा 394/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 302/19 धारा 323/341/34/504 भादवि थाना दुदु जिला जयपुर रूरल राजस्थान ।

अभियुक्त रामधन उर्फ रामू उर्फ धन्नू का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 765/22 धारा 394/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 241/22 धारा 323/506/341 भादवि थाना दुदु जिला जयपुर राजस्थान ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उपनि0 श्री वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-उपनि0 श्री अभिषेक कुमार सर्विलांस टीम बागपत ।

3-का0 261 दीपक सर्विलांस टीम बागपत ।

4-का0 08 अनुज सर्विलांस टीम बागपत ।

5-का0 702 अरूण सर्विलांस टीम बागपत ।

6-का0 698 विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

7-का0 493 विवेक सिरोही थाना कोतवाली बागपत ।

8-का0 234 दीपक कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

9-का0 179 सचिन थाना कोतवाली बागपत ।

10-का0 817 राहुल सोलंकी थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम बली में बने मकान कीमत लगभग 10 लाख 76 हजार रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 04.08.2022 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 493/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त पंकज पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत की ग्राम बली में स्थित रिहायसी भूमि 92.58 वर्ग मीटर पर करीब 04 वर्ष पूर्व बने एक मंजिला भवन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख 76 हजार रुपये है को कुर्क/जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया । अभियुक्त पंकज शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके विरुद्ध हत्या, लूट, हत्या का प्रयास गैंगस्टर अधि0 आदि के 14 मुकदमें दर्ज हैं । अभियुक्त वर्तमान में जेल में निरुद्ध है । अभियुक्त पंकज उपरोक्त थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसका हिस्ट्रीशीट नं0 1026/ए है ।



अभियुक्त पंकज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:- (H.S NO.- 1026A)

- 1-मु0अ0सं0 758/09 धारा 25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 754/09 धारा 147/148/149 भादवि व 25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 722/09 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 4-मु0अ0सं0 875/12 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5- मु0अ0सं0 15/13 धारा 392 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 122/13 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 231/20 धारा 147/148/308/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 303/20 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 493/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10- मु0अ0सं0 961/21 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 11- मु0अ0सं0 326/09 धारा 379 भादवि थाना नरेला दिल्ली ।
- 12- मु0अ0सं0 237/09 धारा 379 भादवि थाना नरेला दिल्ली ।
- 13- मु0अ0सं0 316/09 धारा 379/411 भादवि थाना नरेला दिल्ली ।
- 14- मु0अ0सं0 298/09 धारा 379/411/34 भादवि0 थाना खजूरी खास दिल्ली ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 04.08.2022

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 189/22 धारा
147/148/149/307/302/396/412/201 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02
जिन्दा कारतूस व मृतक का एक पर्स मय कागजात व 600/ रुपये नगद बरामद ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26/07/2022 को वादी श्री अजेन्द्र उर्फ भारत पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. अंकित 2. निकित पुत्रगण नेत्रपाल 3. प्रदीप 4. अनुज पुत्रगण कल्याण 5. विकास उर्फ रूडा पुत्र सुनील 6. कल्याण पुत्र जिले सिंह 7. नेत्रपाल पुत्र भीमसिंह निवासीगण



मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके भाई शुभम उर्फ मृगेन्द्र व उसके साथ जान से मारने की नीयत से सरिया व लाठी से मारपीट की व तमंचो से फायर कर उसके भाई शुभम की हत्या कर दी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/149/307/302 भादवि पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 396/412/201 की बढौत्तरी की गई है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/149/307/302/396/412/201 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व मृतक का एक पर्स मय कागजात व 600/ रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अंकित पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम मौजिजाबाद/भगवानपुर नागल थाना दोघट बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- मृतक का एक पर्स मय कागजात व 600/ रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 जनक सिंह चौहान
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार
3. है0का0 332 सचिन कुमार
4. का0 991 नवीन कुमार



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 04.08.22

थाना रमाला पुलिस द्वारा एक विद्युत तार चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ विद्युत एल्युमीनियम तार स्कैब 17 बण्डल (वजन करीब 4375 किलोग्राम) व एक गाडी स्वराज कैन्टर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला द्वारा चैकिंग के दौरान एक विद्युत तार चोर को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ विद्युत एल्युमीनियम तार स्कैब 17 बण्डल (वजन करीब 4375 किलोग्राम) बोरो में भरा हुआ व एक गाडी स्वराज कैन्टर बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मनीष पुत्र शिवराम निवासी शेरपुर थाना खजूरी खास दिल्ली।

हाल निवासी ग्राम टपूकड़ा थाना टपूकड़ा तहसील तिजारा जनपद अलवर राजस्थान।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ विद्युत एल्युमीनियम तार स्क्रेब 17 बण्डल (वजन करीब 4375 किलोग्राम) बोरो में भरा हुआ ।
- एक एक गाडी स्वराज कैन्टर नम्बर-डीएल-1एलवाई-1066

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त ।

2-का0 470 राजू ।

3-का0 724 कुशलपाल ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 04-08-2022

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 पेटी अवैध देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सरवर पुत्र सलीमू निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 पेटी अवैध देशी शराब संतरा हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना बडौत
- 2-का0 257 बलजीत सिंह थाना बडौत
- 2-का0 262 कवित थाना बडौत
- 3-का0 893 राहुल थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 04.08.22

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 144/22 धारा

147/148/352/323/307/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया

गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.22 को थाना छपरौली पर वादी वसीम पुत्र ताहिर निवासी ग्राम औढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी की अभियुक्त 1.साहिल पुत्र इकराम,2. इकराम 3. सलीम 4. फरमान पुत्रगण शमशाद 5. इंसाद पुत्र हकीमू 6. फुरकान 7. रहमान पुत्रगण इंसाद समस्त निवासीगण ग्राम औढापुर थाना छपरौली के द्वारा वादी व



वादी के परिजनो के साथ एक राय होकर जान से मारने की नीयत से हमला कर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 144/22 धारा 147/148/352/323/ 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 144/22 धारा 147/148/352/323/307/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. फरमान पुत्र शमशाद निवासी ग्राम औढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना छपरौली ।
- 2- का0 993 सूर्यप्रकाश थाना छपरौली ।
- 3- हो0गा0 538 थाना छपरौली ।



**प्रेस नोट
थाना बडौत**

दिनांक 04.08.2022

थाना बडौत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा व 380/ रूपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा व 380/ रूपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- मुकेश पुत्र अशोक निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- सट्टा पर्चा
- 380/ रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0श्री अशोक कुमार थाना बडौत

2-है0का0 422 राजन थाना बडौत

3-का0 542 मोहित थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 04.08.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 217/2022 धारा 354/323/504/506

भादवि से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा मु0अ0स0 217/2022 धारा 354/323/504/506 भादवि से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अमिर पुत्र सोहना निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2- का0 1104 चक्रपाल थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3- का0 180 संजू कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।